

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 98/आवंटन/

पटना, दिनांक 16/1/19

सं सं-05/उ० नि० ब० (आवंटन) 02/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
(संलग्न तालिकानुसार)।

विषय :- मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन-मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0002-निदेशन, विपत्र कोड-23-2852.80.001.0002 के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में गैर योजना (स्थायी) कार्यालयों को रू० 1,47,77,100/- (एक करोड़ सैतालीस लाख सतहत्तर हजार एक सौ रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय के वहन हेतु कुल रू० 1,47,77,100/- (एक करोड़ सैतालीस लाख सतहत्तर हजार एक सौ रूपये) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

- 2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय-व्ययक शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन-मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0002-निदेशन, विपत्र कोड- 23-2852.80.001.0002 के अन्तर्गत विकलित होगा।
- 3 यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय वहन करने के लिए राशि का आवंटन है।
- 4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही किया जाएगा तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जाय :-
(क) योजना के स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।
(ख) एक इकाई के राशि दूसरे इकाई में व्यय नहीं किया जाय।
(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।
(घ) पुनरीक्षित प्राक्कलन 2018-2019 एवं बजट प्राक्कलन 2019-2020 के 10 अगस्त 2018 तक अवश्य भेज दें।
(च) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं०/बिल नं० एवं मासिक CTMIS का प्रतिवेदन के साथ अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
(छ) 2018-19 का प्रत्यार्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक आवश्यक भेज दें।

कृ० पृ० उ०

(ज) मुख्य बजट शीर्ष-2852-उद्योग-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष 001 निदेशक तथा प्रशासन-मांग संख्या-23 उपशीर्ष 0002 निदेशन-विपत्र कोड-23-2852.80.001.0002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में गैर योजना (स्थाई) कार्यालयों को स्थापना व्यय वहन करने के लिए कुल राशि रू0 1,47,77,100/- (एक करोड़ सैतालीस लाख सतहत्तर हजार एक सौ रुपये) मात्र के आवंटन के आलोक में सम्पूर्ण वर्ष के स्थापना खर्च की गणना कर ली जाय। इस संबंध में वित्त विभाग के प्रासंगिक आदेश की कंडिका-11 में निहित अनुदेश का अनुपालन किया जाय। यदि आवंटन से अधिक राशि की आवश्यकता हो तो पूर्ण औचित्य एवं पटवार व्यय के साथ कारणों को दिखाते हुए शीघ्र सूचित करें।

विश्वासभाजन

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 98/3170

प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 16.1.19

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 98/3170

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तृतीय विभाग, विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक(गोपना), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ए0सी0 डी0सी0-यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा-05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (गोपना शाखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आईटी0मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 16.1.19

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-80 सामान्य लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन ग्रां संख्या 23 उपशीर्ष 0002 निदेशन विपत्र कोड 23-2852.80.001.0002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय को वहन करने के लिए गैर योजना (स्थाई) कार्यालयों को राशि का आवंटन।

क्र०	कार्यालय का नाम /निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन	जी० या० भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	योग वेतन एवं भत्ते	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	कुल योग
	विषय शीर्ष	0002.01.01	0002.01.03	0002.01.04	0002.01.05	0002.01.06		0002.13.02	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना	2600000	2600000	700000	60000	175000	6135000	0	6135000
2	हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/ वरीय लेखा पाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना	1405000	239000	80000	58000	18000	1800000	25000	1825000
3	जिला उद्योग केन्द्र, मुंगेर/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुंगेर	200000	40000	10000	5000	10000	265000	0	265000
4	जिला उद्योग केन्द्र, बेतिया/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, प० चम्पारण (बेतिया)	400000	50000	30000	0	20000	500000	0	500000
5	जिला उद्योग केन्द्र, बांका/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बांका	160000	60000	20000	0	4000	244000	0	244000
6	जिला उद्योग केन्द्र, सिवान/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सिवान	1000000	100000	75000	0	18000	1193000	0	1193000
7	जिला उद्योग केन्द्र, रोहतास/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, रोहतास	200000	50000	30000	0	20000	300000	0	300000
8	जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी	400000	50000	30000	0	20000	500000	0	500000
9	जिला उद्योग केन्द्र, सारण/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सारण	1126000	190000	50000	10000	50000	1426000	0	1426000
10	जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा	462000	36000	33000	10000	9000	550000	0	550000
11	जिला उद्योग केन्द्र, गोपालगंज/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गोपालगंज	420000	40000	40000	0	20000	520000	0	520000
12	जिला उद्योग केन्द्र, सुपौल/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सुपौल	430000	36000	35000	0	10000	511000	0	511000
13	जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णिया/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णिया	558000	16000	0	4100	4000	582100	0	582100
14	जिला उद्योग केन्द्र, कटिहार/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कटिहार	183000	18000	15000	6000	4000	226000	0	226000
15	योग	9544000	3525000	1148000	153100	382000	14752100	25000	14777100

कुल (एक करोड़ सैतालीस लाख सत्तर हजार एक सौ रुपये) मात्र।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।